



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03042023-244901  
CG-DL-E-03042023-244901

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 219]  
No. 219]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2023/चैत्र 10, 1945  
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2023/CHAITRA 10, 1945

## केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2023

फा. सं. आरए-14026(11)/3/2019-केविआ.—चूंकि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सहायक सेवाएं) विनियम, 2022 को दिनांक 12.02.2022 को भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-III, धारा 4, सं. 85 में प्रकाशित किया गया था,

चूंकि, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सहायक सेवाएं) विनियमों के विनियम 1 के खंड(2) में उपबंध है कि ये विनियम आयोग द्वारा यथाधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रवृत्त होंगे।

चूंकि, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सहायक सेवाएं) विनियम, 2022 के विनियम 6, विनियम 14 से विनियम 19 के अधीन उपबंधों, विनियम 20 से विनियम 22 से संबंधित उपबंधों, और विनियम 26 के आरंभ के लिए अधिसूचना दिनांक 21.02.2023 के भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-III, खंड-4, सं. 100 में प्रकाशित हुए थे।

और, अब, अतएव, दिनांक 21.02.2023 के भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-III, खंड-4, सं. 100 में प्रकाशित पूर्वोक्त अधिसूचना के अधिक्रमण में, एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सहायक सेवाएं) विनियम, 2022, दिनांक 01.05.2023 से प्रवृत्त होंगे:—

- विनियम 6 के अधीन टीआरएस से संबंधित उपबंध;
- विनियम 14 से 19;
- विनियम 20 से 22 में टीआरएस से संबंधित उपबंध

iv. विनियम 26

और, यह भी अधिसूचित किया जाता है कि विनियम 26 के प्रवृत्त होने के साथ, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सहायक सेवाएं) विनियम, 2015 के अधीन जारी विस्तृत क्रिया विधियां, दिनांक 01.05.2023 से प्रचालन में बनी नहीं रहेंगी।

हरप्रीत सिंह प्रुथी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./746/2022-23]

**CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th March, 2023

**F. No. RA-14026(11)/3/2019-CERC.**—Whereas the Central Electricity Regulatory Commission (Ancillary Services) Regulations, 2022 were published in Part-III, Section 4, No. 85 of the Gazette of India Extraordinary on 12.02.2022.

Whereas, Clause (2) of Regulation 1 of the Central Electricity Regulatory Commission (Ancillary Services) Regulations provides that the Regulations shall come into force with effect from such date as may be notified by the Commission.

Whereas, the Notification for commencement of the provisions under Regulation 6, Regulations 14 to 19, provisions pertaining to Regulations 20 to 22, and Regulations 26 of the Central Electricity Regulatory Commission (Ancillary Services) Regulations, 2022 were published in Part-III, Section 4, No. 100 of the Gazette of India Extraordinary on 21.02.2023.

And, now, therefore, in supersession of the aforesaid Notification published in Part-III, Section 4, No.100 of the Gazette of India Extraordinary on 21.02.2023, it is hereby notified that the following provisions of the Central Electricity Regulatory Commission (Ancillary Services) Regulations, 2022 shall come into force from 01.05.2023: -

- i. Provisions pertaining to TRAS under Regulation 6;
- ii. Regulations 14 to 19;
- iii. Provisions pertaining to TRAS in Regulations 20 to 22
- iv. Regulations 26.

And, it is further notified that with the coming into force of Regulations 26, the Detailed Procedures issued under the Central Electricity Regulatory Commission (Ancillary Services) Regulations, 2015 shall cease to be in operation from 01.05.2023.

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./746/2022-23]